...ना होगा ::

1. लाईसैन्स अहस्तान्तरणीय होगा।

2. अधिष्ठान में संविदा श्रमिक के रूप में सेवायोजित कर्मकारों की संख्या किसी भी दिन 20 से अधिक नहीं होगी।

3. नियमावली के नियमों की व्यवस्था के सिवाय यथा स्थिति लाईसैन्स की स्वीकृति या नवीनीकरण के लिये भुगतान की गयी फीस लौटाई नही जायेगी।

4. संविदाकार द्वारा कर्मकारों को देय मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन जहाँ प्रयोज्य हो, सेवायोजन की अनुसूची के लिये निहित दरों से कम नहीं होगी, और यदि दरें किसी करार, समझौता अथवा अभिनिर्णय द्वारा नियत की गयी है वह निर्धारित दरों से कम नही होगीं।

5. उन मामलों में जहाँ संविदाकार द्वारा सेवायोजित कर्मकार वहीं अथवा उसी प्रकार का कार्य करते हो जैसा कि अधिष्ठान के मुख्य सेवायोजक द्वारा सीधे सेवायोजित कर्मकार करते हैं तो संविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें अवकाश दिन, कार्य के घन्टे तथा सेवा की अन्य शर्ते वही होंगी जो अधिष्ठान के मुख्य सेवायोजक द्वारा उसी अथवा उसी प्रकार के कार्य के लिये सीधे सेवायोजित कर्मकारों पर प्रयोज्य है किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कार्य के प्रकार के सम्बन्ध में कोई असहमति होने की दशा में उसका विनिश्चय श्रमायुक्त, उ0 प्र0 द्वारा किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

6. अन्य मामलों में संविदाकार के कर्मकारों की मजदूरी की दरें, अवकाश दिन, कार्य के घन्टे तथा सेवा की शर्ते वही होंगी, जैसा कि श्रम आयुक्त, उ0 प्र0 द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट की जाये।

7. प्रत्येक ऐसे अधिष्ठान में जहाँ संविदा श्रमिक के रूप में बीस अथवा उससे अधिक महिलायें समान्यतः सेवायोजित हो तो उनके छः वर्ष से कम आयु के बच्चे के प्रयोग के लिये उपर्युक्त आकार के दो कमरों की व्यवस्था की जायेगी इनमें ऐसे एक कमरे का प्रयोग बच्चों के लिये क्रीड़ा कक्ष के रूप में और दूसरे का प्रयोग बच्चों के लिये शयन कक्ष के रूप में किया जायेगा। इस प्रयोजन के लिये संविदाकार क्रीड़ा कक्ष में पर्याप्त संख्या में खिलौने और खेल के समान तथा शयन कक्ष में पर्याप्त संख्या में चारपाईयों और बिस्तरों की व्यवस्था करेगा। बाल ग्रहों के निर्माण तथा उनके अनुरक्षण का स्तर वही होगा जैसा कि श्रमायुक्त, उ0 प्र0 द्वारा तदर्थ विनिर्दिष्ट किया जाये।

8. लाईसेन्स धारी कर्मकार की संख्या अथवा कार्य की शर्तो में किसी भी परिवर्तन की सूचना लाईसेन्सिंग अधिकारी को देगा।

8(1) अधिष्ठान में नियोजित संविदा कर्मकारों को सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना से आच्छादित कराया जाये

9. लाईसेन्स का प्रयोग केवल सिक्योरिटी सर्विस x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x कार्य के लिये किया जायेगा।

10. लाईसेन्स का प्रयोजन केवल मैसर्स अन्सल लैण्ड मार्क टाउनशिप प्रा0 लि0, वेदव्यास पुरी, बाईपास, मेरठ। के प्रतिष्ठान तक सीमित रहेगा।

ह0-
(ए0 के0 गुप्त)
लाईसेन्स अधिकारी के हस्ताक्षर